रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19 1990/ज्येष्ठ 29, 1912
No. 147] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 1990/JYAISTHA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 27–आई टी सी (पी एन)/90-93

नई दिल्ली, 19 जून, 1990

विषय :—आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खण्ड-1) ।

फा.स. 3/57/90–ई.पी.सी. :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1–आई टी सी (पी एन)/90-93, दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खण्ड-1) की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. उक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	61	अध्याय 15 पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति उप पैरा 195(4)	वर्तमान उप-पैरा 195(4) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "(5) प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुरोध करने पर पुराने पूंजीगत माल के आयात की अनुमति भी सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा इन प्रावधानों के तहत दी जा सकती है बशर्ते कि यहां ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए, और यह इस पुस्तक के पैरा 34(2) और (3) में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने के भी अधीन होगी।"

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना स. 2-आईटीसी (पीएन)/90-93, दिनांक 30 मार्च, 1990 के अंतर्गत प्रकाशित यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 (खण्ड-1) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

4. उक्त प्रक्रिया पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे दिए गए स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम स.	प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	62	अध्याय 15 पंजीकृत निर्यातक उप-पैरा 307(2)	मौजूदा उप-पैरा 307(2) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— (2) इसके अतिरिक्त निर्यातक तिमाही में एक बार शपथ-पत्र के रूप में स्वयं घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित होगा कि निर्यात आय की कोई भी वसूली 6 महीने की अवधि अथवा ऐसी अन्य अवधि से अधिक बाकी नहीं है जिसकी अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई हो । यदि उपर्युक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए कोई निर्यात आय बकाया हो तो ऐसी अवस्था में संबंधित मदों का ब्यौरा, मूल्य एस/बी संख्या/पी.पी. संख्या और तारीख और जी आर आई फार्म संख्या और तारीख का उल्लेख शपथ-पत्र और सनदी लेखाकार प्रमाण पत्र में किया जाएगा। बकाया निर्यात आय न होने की दशा में आर ई पी लाइसेंस सीधे ही जारी किया जाएगा। यदि बकाया निर्यात आय 6 माह की अवधि से अधिक बकाया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आगे अवधि में वृद्धि नहीं की गई है तो बकाया राशि देय आर. ई.पी. लाइसेंस के मूल्य के मद्दे संमजित कर ली जाएगी तथा शेष राशि के लिए आर.ई.पी. लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। लाइसेंस का समेजित मूल्य बकाया राशि की वसूली के बाद जारी किया जाएगा।

5. उपर्युक्त पैरा 4(1) में अधिसूचित संशोधन 1-7-1990 से लागू होंगे । उक्त पैरा 4(1) में सम्मिलित आर.ई.पी. लाइसेंसों को जारी करने के लिए लम्बित आवेदनों को बैंक वसूली प्रमाण-पत्र की मांग किए बिना निपटाया जा सकता है ।

6. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में जारी किए गए हैं ।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 27—ITC(PN)/90-93

New Delhi, the 19th June, 1990

Subject : Import & Export Policy, 1990—93 (Vol. I)

F. No. 3/57/90-EPC.—Attention is invited to the Import and Export Poliy, 1990-93 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/90-93 dated the 30th March, 1990 as amended.

2. The following amendments shall be made in the said policy at appropriate places indicated below :

Sl. No.	Page No. of the Import & Export Policy, 1990-93 (Vol. I)	Reference	Amendments
1	2	3	4
(1)	61	Chapter XV Import Policy for Registered Exporters Sub-para 195(4)	After the existing subpara 195(4), the following shall be added :— "(5). On the specific request of the applicant, import of second-hand Capital Goods may also be allowed under these provision by the licensing authorities concerned provided the conditions stipulated hereinabove are fulfilled; and this will be further subject to the fulfilment of the conditions laid down in para 34(2) and (3) of this Book."

3. Attention is also invited to the Hand Book of Procedurs, 1990-93 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/90-93 dated the 30th March, 1990, as amended.

4. The following amendments shall be made in the said Hand Book at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Handbook of Procedures 1990-93 (Vol. I)	Reference	Amendments
1	2	3	4
(1)	62	Chapter XV Registered Exporters Sub-para 307(2)	The existing sub-para 307(2) shall be amended as under :— (2) In addition, once a quarter, the exporter shall furnish a self-declaration in the form of an affidavit accompanied by a Chartered Accountant Certificate stating that no realisation of export proceeds has remained outstanding beyond the period of six months or such other period as may be permitted by the Reserve Bank of India. In the event of any export proceeds which are outstanding beyond the above period, the relevant details of items values S/B No./PP No. & date and GRI Form No. & dated shall be furnished in the affidavit and the Chartered Accountant Certificate. In case there are no outstanding, the REP licence would be issued straightaway. In case outstandings are due for more than six months and no extension has been granted by the RBI, then the outstanding

	4
	amount would be adjusted against the value of REP licence due and for the balance amount, the REP licence would be issued. The adjusted value of the licence would be issued after the realisation of outstanding amount.

5. The amendments notified vide Para 4(1) above shall come into force with effect from 1-7-1990 The pending applications for issue of REP licences covered by the said Para 4(1) above may be settled without insisting on the bank realisation certificate.

6. The above amendments have been made in public interest.

TAJENDRA KHANNA, Chief Controller
of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990